

[2024] 8 एससीआर 820: 2024 आई.एन.एस.सी 646

भारत संघ

वी.

बहरेह बखशी

(सिविल अपील सं.(एँ). 4887-4888/2024)

22 अगस्त 2024

[न्या. ऋषिकेश रॉय, न्या. सुधांशु धूलिया और न्या.एस.वी.एन. भट्टी]

विचारार्थ मुद्दा

मुद्दा इस सन्दर्भ में उत्पन्न हुआ कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क के अंतर्गत यदि भारतीय नागरिक की पत्नी-विदेशी जीवनसाथी द्वारा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड के लिए आवेदन को संसाधित करने के लिए अलग हो चुके पति की उपस्थिति अनिवार्य है।

शीर्ष टिप्पण

नागरिकता अधिनियम, 1955-धा.7क(1)-प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक का पंजीकरण- भारत के नागरिक की पत्नी-विदेशी पति/पत्नी द्वारा प्रवासी भारतीय नागरिक (ओ.सी.आई.) कार्ड के लिए आवेदन-अलग हो चुके पति की उपस्थिति, यदि धा. 7क के अंतर्गत आवेदन को संसाधित करने के लिए अनिवार्य है।

अभिनिर्धारित: ओ.सी.आई. कार्ड के लिए आवेदन पर प्रभावी विचार के लिए आवेदक के जीवनसाथी की भौतिक या आभासी माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य है- केंद्रीय सरकार को ऐसी शर्तों, प्रतिबंधों और तरीके के अधीन ओ.सी.आई. धारक के रूप में भारतीय नागरिक के विदेशी पति या पत्नी को पंजीकृत करने का अधिकार है जो निर्धारित किया जा सकता है-पात्रता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'पूर्व सुरक्षा मंजूरी' भी आवश्यक है- अधिनियम स्पष्ट रूप से पूरक प्रक्रियाओं की अनुमति देता है, जैसे कि विदेशी आवेदक और उसके पति या पत्नी का व्यक्तिगत

साक्षात्कार जैसा कि वीजा मैनुअल के साथ-साथ चेकलिस्ट में अलग से निर्दिष्ट किया गया है- वीजा मैनुअल को किसी भी चुनौती की अनुपस्थिति में या जाँच सूची, और प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए, उच्च न्यायालय ने पति/पत्नी की भौतिक/आभासी उपस्थिति की आवश्यकता के साथ वितरण की राहत देने में गलती की और यह अभिनिर्धारित करने में भी अन्यायपूर्ण था कि पति की भौतिक उपस्थिति को अनिवार्य करना मनमाना है- वास्तविकता को सत्यापित करने की प्रक्रिया पर विचार करने के बाद, आवेदक के जीवनसाथी की उपस्थिति को समाप्त करने के लिए आक्षेपित निर्णय में जारी निर्देश का कोई कानूनी आधार नहीं है- इसके अलावा, पति/पत्नी की भौतिक/आभासी उपस्थिति के अलावा अन्य शर्तों को भी आवेदक द्वारा संतुष्ट किया जाना है। जैसा कि अधिनियम, चेकलिस्ट और वीजा मैनुअल के तहत प्रदान किया गया है, जिसके लिए पति द्वारा एक घोषणा भी आवश्यक हो सकती है-एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के आक्षेपित निर्णय अरक्षणीय हैं और अलग कर दिए गए हैं। [अनु. 14-18]

अधिनियमों की सूची

नागरिकता अधिनियम, 1955; वीजा नियमावली, 2021%; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

प्रमुख शब्दों की सूची

भारत के प्रवासी नागरिक; ओसीआई धारक; ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन; पूर्व सुरक्षा मंजूरी; ओसीआई श्रेणी कार्ड की मांग करने वाले आवेदनों के सत्यापन के लिए जारी की गई चेकलिस्ट; जोड़े की उपस्थिति; अलग हुए पति की उपस्थिति; व्यक्तिगत साक्षात्कार; वैवाहिक स्थिति की वास्तविकता; पूरक प्रक्रियाएं; साक्षात्कार; वीजा मैनुअल के साथ-साथ चेकलिस्ट; जीवनसाथी

की भौतिक/आभासी उपस्थिति की आवश्यकता के साथ वितरण;
विशेष परिस्थिति।

मामला उद्भूत होता है

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 4887-4888/2024

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 25.03.2022 और
22.07.2021 के निर्णय और आदेश से ले.पे.अ. सं. का 225/2022 और
रि.या. (सि.) सं. 10807/2020 क्रमशः

पक्षकारगण हेतु उपस्थितियाँ

श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, अति.महा.सा., बी.के. सतीजा, मेरुसागर
सामंताराय, श्रीमती सविता सिंह, ईशान शर्मा, परंताप सिंह, मृयांक
पाठक, अरविंद कुमार शर्मा, अक्षजा सिंह, अपीलार्थी के लिए
अधिवक्तागण।

अंकुर महिन्द्रो, रोहन तनेजा, मोहित डागर, आदित्य कपूर, सौमिल
गोंजाल्विस, अंकुश सतीजा, रोहित बिश्नोई, सुश्री वैशाली एस, सुश्री
शुभांगी जैन, सुश्री सुगंधा आनंद, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

1. अपीलार्थी-भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महा
सॉलिसिटर सुश्री ऐश्वर्या भाटी को सुना। प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित
विद्वान अधिवक्ता श्री अंकुर महिन्द्रों को भी सुना गया।
2. इस मामले में यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या नागरिकता
अधिनियम, 1955 की धारा 7-क के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक
(ओ.सी.आई.) कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया के लिए अलग हुए पति

की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रत्यर्थी ने प्रत्यर्थी के पति की उपस्थिति अनावश्यक बनाने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय में रि.या.(सि.)सं. 10807/2020 दायर की थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी के पति की उपस्थिति से इंकार कर दिया और इस विचार की पुष्टि विद्वान खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 25.03.2022 के विवादित आदेश के तहत की गई थी। अतः भारत संघ के आग्रह पर सिविल अपील दायर की गई।

3. रिट याचिका में, प्रत्यर्थी ने दावा किया कि वह एक ईरानी नागरिक है और उनकी शादी एक भारतीय नागरिक श्री पॉल फेल-एल-डिंगो डी'सिल्वा से हुई है। उन्होंने दिनांक 30.11.2008 को इस्लाम धर्म अपना लिया था और उसके बाद दुबई, यु.इ.ई. में दिनांक 13.05.2009 पर शादी संपन्न हुई थी। दंपति को जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र का अनुवाद एक अधिकृत अनुवादक द्वारा किया गया था और दुबई, यु.इ.ई. में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा प्रमाणित किया गया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी का दावा है कि श्री पॉल और उनके बीच उनकी शादी के संपन्न होने के तुरंत बाद उनके बीच में विवाद पैदा हो गए जिसके कारण वह प्रारंभिक रूप से ईरान लौट आई और उनके आग्रह पर बेंगलुरु में स्थानांतरित हो गई। यह प्रत्यर्थी का मामला है कि श्री पॉल ने आर्थिक कठिनाइयों का दावा किया जिस कारण उन्हें परिवार की आय में योगदान करने के लिए बेंगलुरु में जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री और मैसूर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट करने के लिए प्रेरित किया। हालाँकि, इस बीच, प्रत्यर्थी और श्री पॉल के बीच संबंधों में खटास आ गई और वह उन्हें बेंगलुरु में छोड़कर गोवा में अपने परिवार के साथ रहने चले गए। नतीजतन, प्रत्यर्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत अपने अलग हो चुके पति के विरुद्ध

बेंगलुरु में विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष एक भरण-पोषण याचिका दायर की और उसे मासिक भरण-पोषण राशि 15,000/- रुपए दी गई। श्री पॉल ने इस आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील की परन्तु असफल रहे। दिनांक 17.11.2020 पर, प्रत्यर्थी ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(1)(घ) के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड के लिए वेबसाइट पर आवेदन किया और श्री पॉल के साथ अपनी शादी के आधार पर ओसीआई कार्ड के लिए अपना आवेदन तैयार किया और इसे दिनांक 4.12.2020 पर बेंगलुरु में स्थानीय एफआरआरओ को जमा करने के लिए गई। हालांकि, अधिकारियों ने यह कहते हुए फॉर्म लेने से इनकार कर दिया कि पंजीकरण के लिए उनके आवेदन को संसाधित करने के लिए श्री पॉल की उपस्थिति आवश्यक थी। इसी संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। प्रत्यर्थी उसके ओ.सी.आई. कार्ड आवेदन को संसाधित करने के उद्देश्य से उनसे अलग हो चुके उनके पति, जो कि एक भारतीय नागरिक हैं की भौतिक/आभासी उपस्थिति पर अपीलार्थी द्वारा जोर दिए जाने से व्यथित है।

4. दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी की रिट याचिका को स्वीकृत कर लिया और भारत संघ को उसके जीवनसाथी की उपस्थिति के बिना उसके प्रवासी भारतीय नागरिक (ओ.सी.आई.) कार्ड को जमा करने का निर्देश दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि वीजा नियमावली के अध्याय 21 के खंड 21.2.5(vi) के अंतर्गत जीवनसाथी का व्यक्तिगत साक्षात्कार भारतीय मिशन/डाक/एफ.आर.आर.ओ. द्वारा अनिवार्य नहीं है। दोनों ही जीवनसाथी की उपस्थिति को अनिवार्य करने वाले किसी भी नियम या दिशानिर्देश की अनुपस्थिति में, चेकलिस्ट को

इस तरह से तैयार नहीं किया जाना चाहिए था कि शर्त लागू की जा सके।

5. 25.3.2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने एकल पीठ के आदेश को इस स्पष्टीकरण के साथ बरकरार रखा कि भारत संघ पर प्रवासी भारतीय नागरिक (ओ.सी.आई.) कार्ड के लिए प्रत्यर्थी के आवेदन में उसके दावे की जांच करने पर कोई रोक नहीं होगी। यह नोट किया गया कि जाँच का उद्देश्य यह संतुष्ट करना है कि आवेदन वास्तविक है और विवाह के झूठे दावे पर आधारित नहीं है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां भारतीय जीवनसाथी की मृत्यु हो सकती है या वह लापता हो सकता है। ऐसी स्थितियों में, भारतीय जीवनसाथी को पेश करना संभव नहीं हो सकता है। खण्ड पीठ का विचार था कि व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय पति को पेश करने पर जोर देना स्पष्ट रूप से मनमाना था और यह उन तरीकों में से एक है जिसके द्वारा दावे की वास्तविकता को संतुष्ट किया जा सकता है।
6. इस न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तावित किया गया था कि ओ.सी.आई. कार्ड पर विचार करने के लिए चेकलिस्ट में दोनों पति-पत्नियों को अधिकारियों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। कार्यवाही के दौरान वीजा नियमावली का भी उल्लेख किया गया था ताकि यह तर्क दिया जा सके कि दोनों आवेदकों की उपस्थिति (भौतिक या आभासी) आवश्यक है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने हालांकि तर्क दिया कि अपने पति के साथ मनमुटावों के कारण, भारतीय नागरिक पति या पत्नी ओ.सी.आई. कार्ड के लिए अपने आवेदन के समर्थन में अधिकारियों के सामने शारीरिक रूप से या आभासी माध्यम से उपस्थित होने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। यह आगे तर्क दिया गया कि चूंकि भारतीय पति के पास विभिन्न कानूनी

कार्यवाही लंबित हैं, इसलिए उनके अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने की संभावना नहीं है और असंभवता के कारण, व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय आवेदक के जीवनसाथी की उपस्थिति पर जोर दिए बिना आवेदन को संसाधित किया जाना चाहिए।

7. अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में, दोनों पक्षों ने *नागरिकता अधिनियम*, 1955 की धारा 7क के उप-खंड (घ) पर भरोसा किया है, जिसके लिए आवश्यक है कि ओ.सी.आई. कार्ड के लिए आवेदक ने भारतीय नागरिक के साथ एक पंजीकृत विवाह किया होना चाहिए और विवाह आवेदन प्रस्तुत करने से तुरंत पहले कम से कम दो साल तक साथ रहे होना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय यह ध्यान देने में विफल रहा कि *नागरिकता अधिनियम*, 1955 की धारा 7(1)(घ) और धारा 7(1)(च) और अनु. 21.1.4 और 21.2.5(vi) वीजा नियमावली को एक साथ पढ़ने के लिए, न केवल विवाह की वास्तविकता की आवश्यकता होती है बल्कि यह भी आवश्यक है कि क्या पुनर्विवाह या जीवनसाथी की मृत्यु आदि कारण है। वीजा नियमावली, 2021 में निर्धारित किया गया है कि विवाह की वास्तविकता का पता लगाने के लिए पति-पत्नी से अलग-अलग पूछताछ करना महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि कुछ शर्तों के तहत, जीवनसाथी को पेश करना आवश्यक नहीं हो सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि केवल विवाह की वास्तविकता का पता लगाने के लिए शारीरिक/आभासी उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है।
8. प्रवासी भारतीय नागरिक (ओ.सी.आई.) कार्ड से संबंधित वैधानिक प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1955 (2015 में संशोधित) की धारा 7क, 7ख, 7ग और 7घ में निहित हैं। हालांकि ओ.सी.आई.

कार्ड धारक अपने देश के नागरिक बने रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जैसे कि किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने के लिए एकाधिक-प्रवेश आजीवन वीजा, एफ.आर.आर.ओ. और एफ.आर.ओ. के साथ पंजीकरण से छूट, कुछ पहलुओं में गैर-निवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के साथ समानता आदि। धारा 7क 'प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक के पंजीकरण' से संबंधित है जबकि धारा 7ख ओ.सी.आई. कार्ड धारकों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान करती है। धारा 7ग 'त्याग' से संबंधित है जबकि धारा 7घ में ओसीआई कार्डधारक के रूप में 'पंजीकरण रद्द करने' के संबंध में प्रावधान हैं। धारा 7क(1)(घ) जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

“7क. प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक का पंजीकरण-

(1) केंद्र सरकार, ऐसी शर्तों, प्रतिबंधों और तरीके के अधीन, जो निर्धारित किए जा सकते हैं , इस ओर से किए गए आवेदन पर, एक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकरण कर सकती है -

(क)

(ख)

(ग)

(घ) भारतीय नागरिक के विदेशी मूल के पति या धारा 7क के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक के विदेशी मूल के पति या पत्नी और जिनकी शादी इस धारा के तहत आवेदन प्रस्तुत करने से तुरंत पहले कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए पंजीकृत और कायम रही है:

बशर्ते कि भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकरण की पात्रता के लिए, ऐसे पति या पत्नी को भारत में एक सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्व सुरक्षा मंजूरी के अधीन किया जाएगा।

9. यह ध्यान देना आवश्यक है कि केंद्र सरकार को भारत के नागरिक के विदेशी पति या पत्नी को ओ.सी.आई. धारक के रूप में “इस संबंध में किए गए आवेदन पर ऐसी शर्तों, प्रतिबंधों और तरीके के अधीन जो निर्धारित किए जा सकते हैं पंजीकृत करने का अधिकार है। खंड 7क(1) (घ) के प्रावधान में पात्रता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ‘पूर्व सुरक्षा मंजूरी’ का भी प्रावधान है।
10. ओ.सी.आई. कार्ड के ऐसे विशेष विशेषाधिकार को धारा 7घ(च) के तहत वापस लिया जा सकता है जो इस प्रकार है:

“7घ. केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, धारा 7क की उप-खंड (1) के तहत दिए गए पंजीकरण को रद्द कर सकती है, यदि यह संतुष्ट है कि:

.....

(च) एक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक का विवाह, जिसने धारा 7क के उप-धारा (1) के खंड (घ) के तहत ऐसा कार्ड प्राप्त किया है, -

- (i) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्यथा भंग कर दिया गया है; या
- (ii) विघटित नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह के विवाह के निर्वाह के दौरान, उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है।”

11. ओ.सी.आई. श्रेणी कार्ड की मांग करने वाले आवेदनों के सत्यापन के लिए जारी की गई चेकलिस्ट का प्रासंगिक खंड जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड का हिस्सा था, इस प्रकार है:-

“भारतीय नागरिक के साथ विवाह के मामले में, पंजीकृत विवाह प्रमाण-पत्र और जीवनसाथी वैध भारतीय पासपोर्ट फोटो पृष्ठ और पता पृष्ठ (भारतीय नागरिकता रखने वाला)। (भारत के बाहर जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्रों को अपोस्टिल के साथ चिपकाया जाना चाहिए या विदेश में संबंधित भारतीय मिशन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए)। आवेदन जमा करने के दिन दंपति को उपस्थित होना चाहिए। (केवल वे लोग जिनकी शादी पंजीकृत है और कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए कायम रही है, वे भारतीय नागरिक के साथ शादी के आधार पर ओ.सी.आई. के लिए पात्र हैं।”

12. उपरोक्त से संकेत मिलता है कि आवेदन जमा करने के दिन दंपति को उपस्थित होना चाहिए। विद्वान एएसजी द्वारा अनुमानित भौतिक/आभासी उपस्थिति की आवश्यकता की सराहना करने के लिए, हमने गृह मंत्रालय द्वारा जारी वीजा नियमावली का भी अध्ययन किया है और वीजा नियमावली के अध्याय 21 में प्रासंगिक खंडों पर विचार किया गया है।

13. वीजा नियमावली का अनु. 21.25(vi) इस प्रकार प्रदान करता है:

“विदेशी नागरिकों द्वारा केवल ओ. सी. आई. कार्ड प्राप्त करने के लिए सुविधा के विवाह में प्रवेश करने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए, नागरिकता अधिनियम, 1955 (यानी

पति या पत्नी के आधार पर) की धारा 7क(1)(घ) के तहत ओ.सी.आई. कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले सभी ओ.सी.आई. आवेदकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार (या तो शारीरिक या वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा) का एक अनिवार्य सत्यापन कदम शुरू किया गया है। यह व्यक्तिगत साक्षात्कार संबंधित भारतीय मिशन/डाक/एफ.आर.आर.ओ. द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन चरण के समय ही आयोजित किया जाएगा और व्यक्तिगत साक्षात्कार होने के बाद ही जीवनसाथी के आधार पर ओ.सी.आई. आवेदन को ऑनलाइन प्रणाली पर स्वीकार किया जाएगा और संबंधित भारतीय मिशन/डाक/एफ.आर.आर.ओ. ने ओ.सी.आई. कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदक की उपयुक्तता के बारे में खुद को संतुष्ट किया है। संबंधित भारतीय मिशन/डाक/एफ.आर.आर.ओ. की सिफारिश के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार पर एक रिपोर्ट भी ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड की जाएगी। इस तरह के व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान, भारतीय मिशन/डाक/एफ.आर.आर.ओ. विदेशी आवेदक और उसके जीवनसाथी से अलग-अलग यादृच्छिक प्रश्न पूछ सकता है ताकि ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सके जो आवेदक की वैवाहिक स्थिति की वास्तविकता पता लगाने में मदद कर सके। व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान दी गई जानकारी का मिलान आवेदन-पत्र में इसी तरह के प्रश्नों के संदर्भ में दी गई जानकारी, यदि कोई हो, के साथ किया जा सकता है”।

[जोर दिया गया]

14. वीजा नियमावली के अन्य प्रावधानों को भी हमारे संज्ञान में लाया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि अग्रिम कदम के रूप में, पति द्वारा एक घोषणा दी जानी चाहिए कि मृत्यु या तलाक की स्थिति में, वह अधिकारियों को ओ.सी.आई. कार्ड सौंप देगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदक के व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान, संबंधित अधिकारी विदेशी आवेदक और उसके जीवनसाथी से अलग-अलग यादृच्छिक प्रश्न कर सकता है, ताकि ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सके जो आवेदक की वैवाहिक स्थिति की वास्तविकता का पता लगाने में मदद कर सके। इससे पता चलता है कि आवेदक के जीवनसाथी की उपस्थिति या तो शारीरिक रूप से या आभासी मोड द्वारा ओ. सी. आई. कार्ड के लिए आवेदन के प्रभावी विचार के लिए अनिवार्य है।
15. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वीजा नियमावली या यहां तक कि चेकलिस्ट केवल एक प्रत्यायोजित कानून है और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क(घ) में साक्षात्कार को अनिवार्य करने वाली ऐसी कोई शर्त नहीं है। हम इस निवेदन को प्रतिग्रहण करने के लिए अनिच्छुक हैं क्योंकि धारा 7क(1) विशेष रूप से नोट करती है कि केंद्र सरकार द्वारा ओ.सी.आई. कार्ड का पंजीकरण 'ऐसी शर्तों, प्रतिबंधों और तरीके के अधीन है जो निर्धारित किए जा सकते हैं'। इसलिए, अधिनियम स्पष्ट रूप से पूरक प्रक्रियाओं की अनुमति देता है जैसे कि वीजा नियमावली के साथ-साथ चेकलिस्ट में निर्दिष्ट साक्षात्कार। वीजा नियमावली या चेकलिस्ट को किसी भी चुनौती की अनुपस्थिति में, और प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में जीवनसाथी की भौतिक/आभासी उपस्थिति की आवश्यकता के साथ वितरण की राहत देने में गलती की।

यह इस आधार पर किया गया था कि ऐसे अन्य तरीके हैं जिनके द्वारा संबंधित प्राधिकारी आवेदन की वास्तविकता पर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं।

16. यदि उपरोक्त प्रक्रिया पति या पत्नी की उपस्थिति के साथ हो रही है। प्रत्यर्थी के आवेदन को स्वीकार करने की अनुमति पर विचार करने के लिए, यह सबसे पहले अधिसूचित प्रक्रिया से अलग होगा। इसके अलावा, सत्यापन का पूरा भार पूरी तरह से अधिकारियों पर आ जाएगा। ओ.सी.आई. कार्ड के लिए, यह आवेदक के लिए है कि वह अपनी आवेदन की वास्तविकता पर निर्धारित तरीके से अधिकारियों को संतुष्ट करे। किसी भी मामले में, खण्ड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में अन्याय किया कि पति की भौतिक उपस्थिति को अनिवार्य करना मनमाना है। नागरिकता अधिनियम 1955, वीजा नियमावली, प्रशासनिक निर्देशों या चेकलिस्ट के प्रावधानों को किसी भी तरह की चुनौती की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय की ऐसी टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया गया था। इस संबंध में, रिट याचिका में की गई प्रार्थना को निम्नानुसार नोट किया जा सकता है:

“क. एक परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट जिसमें प्रत्यर्थी को निर्देश दिया गया है कि वह भारत का प्रवासी नागरिक देने के लिए याचिकाकर्ता के पति की उपस्थिति के लिए जोर न दे और/या,

ख. प्रत्यर्थी को विदेशी नागरिकता जारी करने का निर्देश देते हुए एक परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें। याचिकाकर्ता को भारत का कार्ड:और/या

कोई अन्य राहत जिसे माननीय न्यायालय तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझ सकता है।

17. वास्तविकता को सत्यापित करने की प्रक्रिया पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि आवेदक के जीवनसाथी की उपस्थिति को समाप्त करने के लिए आक्षेपित निर्णय में जारी किए गए निर्देश का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके अलावा, जीवनसाथी की भौतिक/आभासी उपस्थिति के अलावा अन्य शर्तों को भी एक आवेदक द्वारा पूरा किया जाना है जैसा कि नागरिकता अधिनियम 1955, चेकलिस्ट और वीजा मैनुअल के तहत प्रदान किया गया है, जिसके लिए पति द्वारा एक घोषणा भी आवश्यक हो सकती है।
18. हमारी उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, ओ.सी.आई. कार्ड के लिए उसके आवेदन पर विचार करने के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान प्रत्यर्थी के जीवनसाथी की भौतिक उपस्थिति के साथ विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की विद्वान खण्ड पीठ के दिनांक 22.07.2021 और 25.03.2022 के आक्षेपित निर्णय अरक्षणीय पाए गए हैं और उन्हें अपास्त कर दिया गया है।
19. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने यह निवेदन करने का प्रयास किया कि यह एक अजीब मामला है जहां शादी कायम है और पत्नी को छोड़ दिया गया है। अलगाव के मामले में, आवेदक एक 'विशेष परिस्थिति' की श्रेणी में आएगा क्योंकि ऐसी श्रेणी के लिए नियम मौन हैं। इस संबंध में, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क(3) को हमारे संज्ञान में लाया गया था:

“(3) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट है कि विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हैं,

तो परिस्थितियों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, किसी व्यक्ति को भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत कर सकती है।”

20. इस विशेष प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, हम देख सकते हैं कि वर्तमान आदेश केंद्र सरकार के सामने यह विचार करने के लिए नहीं आएगा कि क्या प्रत्यर्थी के आवेदन पर विचार करने के लिए कोई विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं और यह तब प्रत्यर्थी के लिए अपने मामले को ठीक करने के लिए खुला होगा। हालाँकि, ऐसा विवेकाधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है और हम इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि प्रत्यर्थी इस तरह के विचार का हकदार है या नहीं।
21. उपरोक्त के साथ, आक्षेपित निर्णयों में हस्तक्षेप कर अपीलों को अनुमति दी जाती है। लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हों, को समाप्त कर दिए जाते हैं।

मामले का परिणाम: अपीलों की अनुमति दी गई।

⁺द्वारा तैयार किए गए हेडनोट: निधि जैन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.